



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
अल्प आय वर्ग फ्लैट सं० B-7/G-2, B-7/G-4,
लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
सुल्तानपुर।



पत्र सं०-
सेवा में,

/सं० प्र० सुल्तानपुर/

दिनांक-

श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी

विषय:- परिषद की लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सुल्तानपुर स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपके पंजीकरण संख्या ----- के विरुद्ध दिनांक को लाट्री द्वारा परिषद की लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सुल्तानपुर में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या..... किश्त/नकद क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आवंटित किया गया, अतः उक्त भवन का प्रदेशन पत्र आपके पक्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. भूखण्ड का क्षेत्रफल 121.89 वर्ग मी० | |
| (क) भूखण्ड का मूल्य (रु०14500.00 प्रति वर्ग मी०) | रु० |
| (ख) भवन निर्माण लागत | रु० |
| (ग) भूखण्ड सहित भवन का कुल मूल्य (अनुमानित) | रु० |
| (घ) कार्नर हेतु अतिरिक्त मूल्य | रु० ----- |
| योग :- | रु० |
| 2. जमा पंजीकरण धनराशि | रु० |
| (क) अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि | रु० - |
| 3. नकद क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि (1-2) | रु० |
| 4. प्रथम किश्त के साथ एकमुश्त 40% देय धनराशि | रु० |
| 5. रु०100.00 के गुणांक में | - |
| 6. अवशेष धनराशि 1995000.00 पर @ 11.50%
ब्याज के साथ बनाई गई 120 मासिक किश्त | रु० |
| 7. दिनांक तक जमा योग्य कुल धनराशि
(4 + 5 + 6) | रु० |

विविध शुल्क :-

- | | |
|---|-----|
| (क) विलेख निष्पादन व्यय | रु० |
| (ख) साइट प्लान शुल्क | रु० |
| (ग) विज्ञापन व्यय 0.25 % | रु० |
| 8. दिनांक / / तक जमा योग्य कुल धनराशि | रु० |
| 9. किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने पर 13.5% की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। | |
| 10. उपरोक्त विवरण के विन्दु 07 में अंकित धनराशि में परिषद के वसूली खाता संख्या तथा विन्दु सं० 08 में अंकित धनराशि विविध खाता सं० में दिनांक तक जमा करनी होगी। दिनांक के बाद जमा धनराशि पर ब्याज की गणना दिनांक से की जायेगी। धनराशि जमा न करने पर आवंटनी को 15-15 दिन पर 02 नोटिस देने के बाद भी यदि धनराशि जमा नहीं होती है तो परिषद नियमानुसार आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। | |
| 11. जी०एस०टी० की देयता होने पर जी०एस०टी० का भुगतान अतिरिक्त देय होगा। | |
| 12. भवन के मूल्य का पूर्ण भुगतान दिनांक तक करने पर 5% की छूट देय होगी। | |

16. जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी। उसका भी भुगतान करना होगा।
17. विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को करना होगा।
18. प्रदेशन ग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भवन का निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए नियमानुसार निरस्त किया जायेगा।
16. भवन का कब्जा प्राप्त करने हेतु देय धनराशि तथा निम्नलिखित प्रपत्र दिनांक तक इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दें अन्यथा 50/- प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

नोट:-

6. आवंटी द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित कर्ता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा चार फोटोग्राफ पासपोर्ट साईज़ बिना प्रमाणित।
7. बैंक में जमा धनराशि की चालान की प्रति।
8. 10/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नगर मजिस्ट्रेट/नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र।
9. 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
10. अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु शासनादेशानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तनीय है, स्टैम्प पेपर दिनांक..... तक कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय

(सुभाष चंद्र मोर्य)
सम्पत्ति प्रबन्धक

शपथ पत्र का प्रारूप

समक्ष सम्पत्ति प्रबन्धक

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अयोध्या

मैं (नाम) पुत्र/पुत्री उम्र निवासी निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता हूँ।

5. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई फ्लैट/भूखण्ड/भवन पूर्णतः या अंशतः सुल्तानपुर नगर में नहीं है और उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
 6. मेरी/मेरे पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
 7. मैं तथा मेरी/मेरे पत्नी/पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ०प्र० नगरीय सीमा में केवल एक फ्लैट/भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
 8. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय जिसमें मेरे/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे भी सम्मिलित है कुल रू० से अधिक नहीं थी।
- मैं (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान

दिनांक

दिनांक :

प्रमाणित

मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी

शपथी